महोबा पुलिस

दिनांक- 25.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 249/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 25.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

महोबा पुलिस

दिनांक- 25.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 250/26

◈ मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

◈ महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

* महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महोबा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक एवं प्रभावी जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

* पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर समाज के सभी वर्गों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों—जैसे लिंगानुपात, लैंगिक समानता, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य—पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए जनमानस को जागरूक किया गया।

* इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा कोचिंग संस्थानों, बाजारों एवं ग्राम सभाओं में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा के उपाय, महिला उत्पीड़न से संबंधित विधिक अधिकारों तथा विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

* साथ ही वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल/लिंक, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं OTP साझा न करने के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

दिनांक- 25.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 251/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़

दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या प्रकरण में थाना कुलपहाड़ पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 23.06.2026 को वादी श्री हरप्रसाद पुत्र श्री किशोरीलाल निवासी मुहाल हटवारा वार्ड नं0 06 कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री मनीषा को उसके ससुरालीजन (पति, सास-ससुर एवं बड़ी ननद) द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर मनीषा द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 137/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 04 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित टीम के अंतर्गत उ0नि0 विकास तिवारी मय हमराह का0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 25.06.2026 को अभियुक्त अजय कोरी पुत्र अम्बिका प्रसाद कोरी, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 01 नारायणपुरा रोड, वृंदावन पुरम कॉलोनी के सामने थाना कोतवाली जनपद छतरपुर (म0प्र0) को मुखबिर खास की सूचना पर बागौल तिराहा यात्री प्रतीक्षालय से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अजय कोरी पुत्र अम्बिका प्रसाद कोरी, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 01 नारायणपुरा रोड, वृंदावन पुरम कॉलोनी के सामने थाना कोतवाली जनपद छतरपुर (म0प्र0)

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 विकास तिवारी

2.का0 अनिल कुमार